23

18

पत्र संख्या--वि0(27) प0को0-200/2012 1166 /वि0
बिहार सरकार,
वित्त विभाग।

प्रेषक,

आर0 के0 खंडेलवाल
सचिव (संसाधन)।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव
सभी सचिव
सभी विभागाध्यक्ष
सभी प्रमंडलीय आयुक्त।

पटना, दिनांक 09.08.2012

विषय:-- वित्त विभाग के संकल्प सं0--242 पें0को0 दिनांक 12.02.2008 द्वारा भविष्य निधि से अस्थायी/स्थायी (अप्रत्यर्पणीय) अग्रिम की स्वीकृति की शक्ति प्रत्यायोजित करने के संबंध में स्पष्टीकरण।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित वित्त विभाग के संकल्प संख्या--सह--ज्ञापांक--242 दिनांक 12.02.2008 के संदर्भ में स्पष्टीकरण परिपत्र संख्या--786 दिनांक 11.06.2008 निर्गत किया गया था। जिसके अनुसार वर्त्तमान में प्रावधान है कि सचिवालय कार्यालयों के मामले में सचिवालय कर्मी जिस विभागाध्यक्ष के अधीन कार्यरत है, वे विभागाध्यक्ष, इस परिपत्र के प्रसंग में 'कार्यालय प्रधान' होंगे तथा विभागीय सचिव उनके नियंत्री पदाधिकारी होंगे। यदि विभाग में कोई पदाधिकारी विभागाध्यक्ष घोषित नहीं हो तथा कर्मी सीधे विभागीय सचिव के अधीन कार्यरत हो, तो विभागीय सचिव ही 'कार्यालय प्रधान' समझे जायेंगे। ऐसी स्थिति में विभागीय सचिव अस्थायी एवं स्थायी अग्रिम दोनों ही स्वीकृत करने के लिए अधिकृत होंगे।

सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा संकल्प संख्या--सह--ज्ञापांक--511 दिनांक 22.02.2011 के माध्यम से राज्य सरकार के अधीन पदों को पुनर्वर्गीकृत किया गया है। इस कारण सामान्य भविष्य निधि से अस्थायी/स्थायी अग्रिम की स्वीकृति के संबंध में संशय की स्थिति उत्पन्न हुई है जिसे स्पष्ट करने की आवश्यकता महसूस की गई है।

उक्त के प्रसंग में सामान्य भविष्य निधि से अस्थायी/स्थायी अग्रिम की स्वीकृति के संबंध में निम्नलिखित स्पष्टीकरण निदेशानुसार परिचारित किया जाता है :-

(i) वर्ग 'ग' एवं 'घ' के सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के कर्मी जिनका ग्रेड पे ₹ 1300/-- से ₹ 1650/-- एवं ₹ 1800/-- से ₹ 2800/-- के बीच रखा गया है के संबंध में अस्थायी/स्थायी अग्रिम की स्वीकृति उनके कार्यालय प्रधान/स्थापना के प्रभारी पदाधिकारी के द्वारा प्रदान की जायेगी।

क्र0 10-30 /

(ii) वर्ग 'ख' के सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के कर्मी जिनका ग्रेड पे ₹ 4200/– से ₹ 5400/– के बीच रखा गया है, को अस्थायी अग्रिम की स्वीकृति विभाग के स्थापना के प्रभारी पदाधिकारी/कार्यालय प्रधान (न्यूनतम संयुक्त सचिव स्तर के पदाधिकारी) या विभागीय सचिव द्वारा प्रदान की जायेगी ।

(iii) वर्ग 'ख' के सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के कर्मी जिनका ग्रेड पे ₹–4200/– से ₹ 5400/–के बीच रखा गया है, को स्थायी अग्रिम की स्वीकृति विभागीय सचिव द्वारा प्रदान की जायेगी ।

(iv) अखिल भारतीय सेवाओं के पदाधिकारियों को छोड़कर वर्ग 'क' के राज्यकर्मियों के अस्थायी/स्थायी अग्रिम की स्वीकृति विभागीय सचिव द्वारा प्रदान की जायेगी ।

(v) सदस्य, राजस्व पर्षद, विकास आयुक्त, विभागीय सचिव तथा प्रधान सचिव को अस्थायी/स्थायी अग्रिम की स्वीकृति मुख्य सचिव द्वारा प्रदान की जायेगी ।

विश्वासभाजन

(आर0के0 खंडेलवाल)
सचिव (संसाधन) ।